दिनांक 20 जुलाई, 2015 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक की कार्यवाही।

मद संख्या (i)–प्रधान सचिव परिवहन विभाग ने सदस्यों का बैठक में स्वागत किया ।

प्रधान सचिव ने यह प्रतिवेदित किया कि प्रभार लेने के उपरान्त राज्य परिवहन प्राधिकार (STA) की पूर्ववत्ती बैठकों की समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि उन बैठको में स्वीकृत किये गये परमिट के निर्गमन की स्थिति अच्छी नही है । बहुत से मामलों में वाहन स्वामी द्वारा कार्यवाही निर्गत होने के दो माह के अन्दर स्वीकृत परमिट के निर्गमन हेतु अधिभार शुल्क सहित आवेदन पत्र समर्पित कर दिया जाता है, परन्तु अन्य आवश्यक कागजात की मांग किये जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जिसके फलस्वरूप लम्बे समय तक प्राधिकार के निर्णयों का कार्यान्वयन लंबित रह जाता है । इस प्रकार विगत दो वर्षो से लंबित सभी ऐसे मामलों की सूची बनाई गयी । यह सूची विभागीय वेवसाईट पर शनिवार दिनांक 18.07.2015 को प्रकाशित कर दी गई ।

अतएव प्रस्ताव है कि अभी तक निर्गमन हेतु विभाग में लंबित वैसे सभी परमिट के वाहन स्वामियों की सूची तैयार कर परिवहन विभाग के वेबसाईट (www.transport.bih.nic.in) पर अपलोड करते हुए उन्हें एक माह के अन्दर परमिट निर्गमन हेतु आवश्यक सभी कागजात एक साथ उपलब्ध कराने का निदेश दिया जा सकता है, ताकि अगले एक माह के अंदर लंबित सभी परमिटो का निर्गमन किया जा सके । उक्त निर्धारित समय (एक माह) के अंदर सभी आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराने पर वैसे सभी पूर्व में स्वीकृत परमिट स्वतः रद्द समझे जायेंगे । साथ ही यह भी प्रस्ताव है कि प्राधिकार की आगामी बैठकों में स्वीकृत परमिटों के निर्गमन हेतु आवश्यक कागजात समर्पित करने एवं परमिट निर्गमन हेतु निर्धारित उक्त समय सीमा के अनुरूप ही प्राधिकार के निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा ।

इस संबंध में विस्तार से चर्चा हुई तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि STA द्वारा पूर्व में स्वीकृत एवं निर्गमन हेतु लंबित जिन आवेदकों/वाहनस्वामियों की सूची दिनांक 18.07.2015 को परिवहन विभाग के वेबसाईट पर अपलोड की जा चुकी है, उन सभी वाहनस्वामियों को उक्त स्वीकृत परमिट के निर्गमन हेतु आवश्यक सभी कागजात एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा उक्त सूची में शामिल स्वीकृत परमिट स्वतः रद्द समझे जायेगे । यह भी निर्णय लिया गया कि इस आशय की सूचना परिवहन विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया जाय । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यह प्रक्रिया आगे के लिये भी निर्धारित होगी ।

मद संख्या (ii)- इसके अलावा प्रधान सचिव द्वारा यह भी सूचित किया गया कि सम्प्रति राज्य में चल रही बसों के संबंध में प्राधिकार के पास कोई समेकित डाटाबेस नहीं है। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (RTA) द्वारा जारी तथा STA द्वारा जारी परमिटों की एकीकृत तालिका या सूचना कहीं भी उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में केवल नये परमिट जारी करना लोकहित में नहीं है । बिना समेकित सूचना अथवा डाटा बेस के चल रही बसों के कारण विभाग को अनुश्रवण तथा प्रवर्त्तन के कार्यो में कठिनाई हो रही है ।

इस बिन्दु पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रधान सचिव के निर्देश के अधीन विभाग सभी RTA/STA के द्वारा निर्गत परमिटों से आवृत बसों की डाटाबेस तैयार करेंगे तथा इसे भी विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा । इस कार्य को लगभग दो से तीन सप्ताह में पूरा कर लिया जायेगा ।

प्रधान सचिव ने सदस्यों को बताया कि यह कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डाटाबेस वेवसाईट पर प्रकाशित करने के बाद STA की बैठक करना उचित होगा । सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि अगामी बैठक में 20.08.2015 तक प्राप्त सभी आवेदनों पर उचित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जायेगा।

मद संख्या (iii)- अन्य विविध मामले

प्राधिकार के अध्यक्ष द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुये राज्य परिवहन प्राधिकार की आज दिनांक 20.07.2015 की बैठक में प्राधिकार के गैर सरकारी सदस्यों को नियमानुसार देय मानदेय तथा अन्य सुविधा प्रदान करने के संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लेने हेतु प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त को प्राधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

प्रो. दिलीप कुमार सिंह गैर सरकारी सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद चन्द्रवंशी गैर सरकारी सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना	डॉ. गीता कुमारी गैर सरकारी सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना	राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना	अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना